भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1543

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2011 को दिया जाना है ।

.....

वर्षा जल संचयन प्रणाली

1543. श्री ए. इलावरासन :
डा. जनार्दन वाघमरे :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस बात की निगरानी के लिए कोई तंत्र है कि उन राज्यों, जहां राज्य सरकारों ने वर्षा जल संचयन प्रणाली को सभी अर्हक भवनों में स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है, के ऐसे प्रत्येक भवन में यह प्रणाली स्थापित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार सभी राज्यों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने के लिए कोई कदम उठा रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) अनिवार्य रूप से वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने के संबंध में राज्य सरकारों को जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वींसेंट एच. पाला)

(क) एवं (ख): संबंधित राज्य सरकारों की अधिसूचनाओं के अनुसार वर्षा जल संचयन प्रणाली हेतु प्रावधान सहित भवन योजनाओं का अनुमोदन सम्बद्ध नगर-निगम/ राज्य विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है । राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनानुसार इस बात की निगरानी करने हेतु कि प्रत्येक भवन जो वर्षा जल संचयन के योग्य है, में वर्षा जल

संचयन प्रणाली स्थापित करने हेतु निम्नलिखित तंत्र हैं:

क्र.सं.	राज्य	कार्य कर रहा प्रबोधन तंत्र
1.	हरियाणा	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के समस्त प्रशासकों/ सम्पदा कार्यालय को निदेश जारी किए गए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि जब तक छत के वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन न किया जाए तब तक कोई व्यावसायिक प्रमाण-पत्र जारी न करें ।
2.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश भूमि जल अधिनियम, 2005 में प्राधिकरण द्वारा वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण का प्रावधान तथा इसके निदेशों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में यथानिर्धारित दंड सहित इसकी लागत की वसूली का प्रावधान है ।
3.	मध्य प्रदेश	समस्त शहरी स्थानीय निकायों को भवन में वर्षा जल संचयन प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए भवन संबंधी अनुमति चाहने वाले व्यक्ति से जमा राशि प्राप्त करने का निदेश दिया गया है । निर्माण पूर्ण होने के पश्चात, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जा चुकी है तथा जमाराशि वापस की जा चुकी है, एक निरीक्षण किया जाता है ।
4.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र में, भवन उपविधि में यह प्रावधान है कि उपविधि के अंतर्गत्त यथोपेक्षित वर्षा जल संरचनाओं को उपलब्ध कराने या उनके रखरखाव के लिए स्वामियों द्वारा ऐसा न करने की स्थिति में प्रत्येक 100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र हेतु कर लगाने का प्रावधान है जोकि प्रति वर्ष 1000/- रू. से अधिक न हो ।
4.	तमिलनाडु	तमिलनाडु नगर पालिका नियम अध्यादेश, 2003 में आयुक्त या इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा भवन के स्वामी या इसमें रहने वाले को नोटिस जारी करने तथा ऐसे भवनों में नियमानुसार वर्षा जल संचयन संरचना के निर्माण तथा सम्पदा कर की भाँति ही इस पर होने वाले व्यय सहित ऐसी व्यवस्था की लागत की वसूली करने का प्रावधान है ।" चेन्नई में, वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना के पश्चात ही नया जल एवं सीवर कनेक्शन प्रदान किया जाता है ।

(ग) एवं (घ) "जल" राज्य का विषय होने के कारण, संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने के लिए कदम उठाए जाते हैं । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों- आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ, दमन एवं दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा

पुदुच्चेरी ने अपने-अपने राज्यों में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया है ।

(ड.) जल संसाधन मंत्रालय ने उपयुक्त भूमिजल विधान को अधिनियमित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक 'मॉडल बिल' परिचालित किया है । जिसमें, निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान करते समय 100 वर्ग मी. या उससे अधिक क्षेत्र की भवन योजना में छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं की व्यवस्था करने के लिए नगर निगम या अन्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुबंधित शर्तों को लगाने का प्रावधान है । अधिनियम में प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली समस्त विकासात्मक स्कीमों में वर्षा जल संचयन को शामिल करने के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बद्ध विभागों में राज्य भूमि जल प्राधिकरण द्वारा निदेशों को जारी करने का भी प्रावधान है ।

केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण/ वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए अतिदोहित ब्लॉकों वाले 12 राज्यों के मुख्य सचिवों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भी निदेश जारी किए हैं । इसके अतिरिक्त, समस्त राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रमुख सचिवों/प्रशासकों तथा शहरी विकास मंत्रालय को समस्त सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन/कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भी निदेश जारी किए गए हैं ।

*****